



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 1015 वर्ष 2026

आर्यन यादव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता : प्रिंस कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री प्रिंस कुमार श्रीवास्तव तथा प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई कि इस न्यायालय के पास इस रिट याचिका को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब जिन प्राधिकरणों के विरुद्ध राहत मांगी गई है, वे नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र में स्थित हैं।
3. उक्त तथ्य का खंडन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सका।
4. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा राजेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108. में प्रतिपादित विधि के आलोक में, हस्तक्षेप करने से इंकार किया जाता है। यह रिट याचिका इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

जनवरी 28, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"